प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P.M.F.B.Y)
सुरक्षित करे आपकी फसलें, सुरक्षित करे आपका भविष्य
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के ज़रिए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का लक्ष्य है किसान बंधुओं को बीमा संरक्षण प्रदान करना, ताकि प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों के हमलों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता की दशा में उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके.

इस प्रकार यह योजना किसानों की आमदनी को एक स्थिरता दे रही है तथा उन्हें अपनी खेती को जारी रखने और खेती के नए-अनूठे व आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

कौन इसका फ़ायदा ले सकता है?

सभी किसान, जिसमें साझे पर और बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेत करने वाले भी शामिल हैं, इस संरक्षण के पात्र हैं. लेकिन किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों पर बीमाहित होना चाहिए. लोन लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है.

क्या सरंक्षित है?

फसल की निम्नलिखित अवस्थाएं और फसल की संभावित हानि के जोखिम योजना के अंतर्गत संरक्षित हैं.

- **बुआई/रोपाई के जोखिम से बचाव:** बीमित क्षेत्र को प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण बुआई/रोपाई के जोखिम से बचाया गया है.
- **खड़ी फसल:** अकाल, सूखे के दौर, बाढ़, जलमग्नता, कीटों और बीमारियों, भूस्खलन, प्राकृतिक आग तथा आसमानी बिजली (तड़ित), आंधी, ओले की बरसात, चक्रवात, तूफान, बवंडर, झंझावात और प्रभंजन के विरूद्ध व्यापक जोखिम संरक्षण बीमा प्रदान किया गया है.
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियां:** जिन फसलों को फसल प्राप्ति के पश्चात खेत में फैलाना और सुखाना पड़ता है उन्हें चक्रवाती बारिश और बेमौसम की बरसात की विशेष आपदाओं के विरूद्ध फसल प्राप्ति के पश्चात केवल 2 हफ्तों की अधिकतम अवधि के लिए संरक्षण उपलब्ध है.
- **स्थानीय आपदा:** ओलों की बरसात, जमीन के खिसकने तथा पानी भरने के पहचाने गए स्थानीय जोखिमों के घटित होने के फल स्वरूप हानि/क्षति.

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। (सितंबर 14, 2016 से एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और सितंबर 13, 2016 तक एलऐंडटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में परिचित)। CIN: U66030MH2007PLC177117 । पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफीसः 1ली मंज़िल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020। कस्टमर सर्विस का पताः डी-301, 3री मंज़िल, ईस्टर्न बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400078। टोल-फ्रीः 1800 2 700 700 (सिर्फ भारत से उपलब्ध)। फ़ैक्सः 91 22 66383699 । care@hdfcergo.com । www.hdfcergo.com । जोखिम के कारकों, नियमों व शर्तों के विषय में अधिक जानकारी के लिये कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर पढ़ें। ऊपर दिया गया एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड का ट्रेड लोगो एचडीएफसी लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी की संपत्ति है और इसका इस्तेमाल एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड लाइसेंस के अधीन कर रही है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617. IRDAI Reg No. 146. UID No. 2462

किसान को निम्नलिखित तालिका के अनुसार बीमे के लिए प्रीमियम दर का भुगतान करना होगा:

प्रीमियम में किसान का हिस्सा			
क्रम. सं.	मौसम	फसलें	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रीमियम (बीमा राशि का %)
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न फसलें (अनाज, ज्वार-बाजरा और दालें), तिलहन की फसलें	बीमा राशि का 2.0% या एक्चुरियल दर, जो भी कम हो.
2.	रबी	सभी खाद्यान्न फसलें (अनाज, ज्वार-बाजरा और दालें), तिलहन की फसलें	बीमा राशि का 1.5% या एक्चुरियल दर, जो भी कम हो.
3.	खरीफ और रबी	सालाना व्यापारिक और बागानी फसलें	बीमा राशि का 5% या एक्चुरियल दर, जो भी कम हो.

संरक्षण और दावों के लिए पूर्व-अपेक्षाएं

- **आपदा का व्यापक फैलाव (मौसम की समाप्ति पर पैदावार के आधार पर) :** 'एरिया एप्रोच' के आधार पर संचालित होता है और दावे की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए कटाई प्रयोग के आधार पर की जाती है.

- **दावो का 'ऑन अकाउन्ट' भुगतान:** यह उस फसल के लिए लागू होता है जहां मौसम में अपेक्षित पैदावार <50% की संभावना हो तथा अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% के समान होती है. यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्र के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है. अगर सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई के 15 दिनों के बाद प्रतिकूलता घटित होती है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा.

- **बचाव/विफल बुआई/रोपाई/अंकुरण के दावे:** यह व्यापक घटना के कारण सामान्य बुआई क्षेत्र की 75% से अधिक फसल के प्रभावित होने के लिए है. ऐसे में संभावित दावों के अधिकतम 25% राशि देय होगी. यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्र के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है. अगर सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई के 15 दिनों के बाद प्रतिकूलता घटित होती है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा. प्रावधान नियत तिथि से लागू होंगे. दावों का भुगतान प्रावधान के लागू होने तथा पूरी सब्सिडी की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा.

- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियां/स्थानीय जोखिम:** इसका संचालन अलग 'प्लॉट एप्रोच' आधार पर किया जाता है. बीमाधारक द्वारा तुरन्त 48 घंटों के अंदर सूचना दी जानी चाहिए. सूचना में बीमित फसल और प्रभावित एकड़ का विवरण होना चाहिए. साक्ष्य के रूप में पूरी तरह भरा हुआ दावा फॉर्म 7 दिनों के अंदर

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां कॉल करें 1800 266 0700

संपर्क करें:

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। (सितंबर 14, 2016 से एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और सितंबर 13, 2016 तक एलऐंडटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में परिचित)। CIN: U66030MH2007PLC177117 । पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफीस: 1ली मंज़िल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020। कस्टमर सर्विस का पता: डी-301, 3री मंज़िल, ईस्टर्न बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400078। टोल-फ्री: 1800 2 700 700 (सिर्फ भारत से उपलब्ध)। फ़ैक्स: 91 22 66383699 । care@hdfcergo.com । www.hdfcergo.com । जोखिम के कारकों, नियमों व शर्तों के विषय में अधिक जानकारी के लिये कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर पढ़ें। ऊपर दिया गया एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ट्रेड लोगो एचडीएफसी लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी की संपत्ति है और इसका इस्तेमाल एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लाइसेंस के अधीन कर रही है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617. IRDAI Reg No. 146. UID No. 2462